



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org, E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./जोध/लेखा/2021-22/10933

दिनांक: 04.02.22

वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 31.01.2022 को आयोजित बैठक का
कार्यवाही विवरण :-

डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा उपवेशन दिनांक 31.01.2022 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में 12.15 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड़, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. प्रो. डॉ. अभिमन्यु कुमार, कुलपति अध्यक्ष
डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर सदस्य
प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. श्रीमती सीमा कविया, कुलसचिव सदस्य
डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ला, प्राचार्य सदस्य
आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर
5. प्रो. राजेश कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, सदस्य
पी. जी. क्रिया शरीर विभाग, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर।
6. डॉ. अशोक कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक सदस्य
प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
7. श्री दशरथ कुमार सोलंकी, वित्त नियंत्रक सदस्य सचिव
डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव न उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही गई। अनुमति पश्चात् बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	वित्त एवं लेखा समिति द्वारा किया गया निर्णय
1.	गत बैठक दिनांक 26.03.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। कार्यवाही विवरण के बिन्दू संख्या 03 के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को शीघ्र ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाने हेतु निर्देशित किया गया।

21


14

14

2.	विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू किये जाने के निर्णय का अनुमोदन।	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) लागू करने हेतु अनुमोदन किया गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारी देय अंशदान प्राप्त कर अन्तर की विश्वविद्यालय द्वारा वहन कर राशि राज्य एवं प्रावधानी विभाग जयपुर को भिजवाने का निर्णय लिया गया है।
3.	विश्वविद्यालय आई.टी.शाखा उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव राशि रूपये 24.85 लाख के व्यय पर विचारविमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आवश्यकता का औचित्य हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है।
4.	विद्या परिषद् उपनिवेशन बैठक दिनांक 11.01.2022 में सम्बद्धता शुल्क लौटाने/समायोजन के संबंध में एजेण्डा बिन्दु संख्या 17,18, एवं 19 में पारित निर्णयों का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	प्रवेश परीक्षा (AYURET) मौखिक परीक्षा हेतु कार्मिकों द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य हेतु सम्बंधित अधिकारियों/कार्मिकों को समेकित मानदेय स्वीकृत करने के सम्बंध में विचार-विमर्श।	प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय में स्नातकोत्तर द्रव्यगुण विज्ञान विभाग हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव राशि रूपये 15.23 लाख के व्यय के सम्बंध में विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आवश्यकता का औचित्य हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है।
7.	कोविड-19 की परिस्थितियों के मध्यनजर लॉक-डाउन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय छात्रावास में निवासरत रहे छात्र-छात्राओं के छात्रावास शुल्क माफी के सम्बंध में गठित जॉच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत शुल्क माफी के सम्बंध में अनुमोदन/विचार-विमर्श।	समिति के निर्णय का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	यूनानी महाविद्यालय, टोंक में स्नातक पाठ्यक्रम बी.यू.एम.एस. के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को इण्टरशीप के दौरान देय स्टाइपेंड के सम्बंध में विचार-विमर्श।	प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
9.	मगरा पूंजला में संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में निर्मित छात्रा-छात्रावास एवं ऑडिटोरियम हेतु आवश्यक फर्नीचर-फिक्चर क्रय एवं पानी टंकी का निर्माण करने के सम्बंध में विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए सम्पदा अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि प्रस्ताव अनुसार डीपीआर तैयार कर निविदा की प्रक्रिया की जाकर कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2

15



10.	विश्वविद्यालय आंगिक महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं विशेष परिस्थितियों के कारण शुल्क जमा करवाने में असमर्थ है, उनकी शुल्क माफी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा के अनुसार निर्णय का अनुमोदन।	प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11.	विश्वविद्यालय सेवा में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके बाद नव-नियुक्त कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु/निशक्तता हो जाने पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में अंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी राज्य सरकार के परिपत्र प.12(8)वित्त/नियम/2008 दिनांक 09.05.2013 एवं 29.05.2015 के अनुसार दिये जाने के सम्बंध में विचार-विमर्श/अनुमोदन।	प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
12.	विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम में फॉल सिलिंग, वॉल सिलिंग, साउण्ड सिस्टम, फायर फाईटिंग, स्टेज लाईटिंग एवं फर्नीचर आदि कार्यों के लिए शेष राशि विश्वविद्यालय के निजी फण्ड से उपलब्ध करवाने पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र 2307-10 का अनुमोदन करते हुए निर्धारित कार्यकारी एजेन्सी आरएसआरडीसी को उनके प्रस्ताव के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जावे। फॉल सिलिंग, वॉल सिलिंग, साउण्ड सिस्टम, फायर फाईटिंग, स्टेज लाईटिंग एवं फर्नीचर आदि कार्यों के लिए शेष राशि विश्वविद्यालय के स्वयं की आय से उपलब्ध करवाने की सहमति प्रदान की गई है।
13.	प्रभारी, केन्द्रीय पुस्तकालय से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालय का विस्तार एवं अन्य कार्यों पर विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आवश्यकता का औचित्य हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है।
14.	विभागाध्यक्ष, अंगदूतंत्र विभाग, से प्राप्त प्रस्ताव विभाग के उन्नयनकरण हेतु आवश्यक सामग्री के क्रय पर विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आवश्यकता का औचित्य हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है।
15.	प्रभारी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, करवड़ से प्राप्त प्रस्ताव "सूर्य नमस्कार स्टैच्यू" स्थापित किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रूपये 12.30 लाख पर विचार-विमर्श।	प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
16.	प्राचार्य, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :- अ. जयन्त जोशी पुत्र श्री	अ. प्रकरण को विधि शाखा को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। विधि शाखा से प्राप्त Legal Opinion अनुसार

21

hsh

Q. v.

कमलेश जोशी बी.ए.एम.एस. द्वितीय वर्ष (बैच 2019) के छात्र को द्वितीय वर्ष एवं शेष अवधि के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में स्वीकृति दिये जाने के सम्बंध में हुए निर्णय का अनुमोदन एवं विचार-विमर्श।

ब. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद भवन में क्षतिग्रस्त फर्स, सीवर एवं फर्नीचर मरम्मत एवं विभागों की कक्षाओं हेतु आवश्यक फर्नीचर क्रय करने बाबत अनुमानित व्यय राशि रुपये 50.00 लाख पर विचार-विमर्श।

स. महाविद्यालय में अध्ययनरत यू.जी./पी.जी. छात्रों की वार्षिक (शैक्षणिक) शुल्क ऑन-लाइन जमा करवाने हेतु सॉफ्ट-वेयर तैयार करने एवं निर्धारित अवधि में फीस जमा करवाने एवं डिफाल्टर छात्रों को वर्गीकृत कर निर्धारित अवधि के पश्चात् विलम्ब शुल्क आदि का निर्धारण करने पर नीतिगत निर्णय लेने बाबत विचार-विमर्श।

द. महाविद्यालय में अध्ययनरत पी.जी. अध्येताओं को शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर न्यूनतम राशि का आवंटन अथवा एक निर्धारित राशि तय करके राज्य सरकार से शोध कार्य हेतु अनुदान के सम्बंध में कार्यवाही किये जाने हेतु तथा विश्वविद्यालय स्तर पर औषध निर्माण हेतु रसायनशाला में ईंधन/मानव संसाधन के उपयोग एवं रोग विकृति विज्ञान विभाग "रोगी जाँच प्रयोगशाला" में निःशुल्क जांच की स्वीकृति पर विचार-विमर्श।

प्रकरण को निर्णित किये जाने का निर्णय लिया गया।

ब. सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आवश्यकता का औचित्य हेतु समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के निर्णय अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है।

स. प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

द. प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। पी. जी. अध्येताओं को अध्ययनकाल में शोध कार्य हेतु अधिकतम रुपये 10000/- स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति व्यय के पुनर्भरण के अनुसार दी जावेगी।

21

44

Q.S.W.

<p>17. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। Student Skill Development Programme के अन्तर्गत बी. ए. एम. एस. के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिये Booklet प्रकाशित कराये जाने पर होने वाले व्यय पर विचार विमर्श।</p> <p>बी. ए. एम. एस. प्रथम वर्ष - पृष्ठ संख्या 100 प्रत्येक Booklet की लागत रुपये 85/- कुल 1000 Booklet प्रकाशित करवायी जानी है।</p> <p>बी. ए. एम. एस. द्वितीय वर्ष - पृष्ठ संख्या 170 प्रत्येक Booklet की लागत रुपये 145/- कुल 1000 Booklet प्रकाशित करवायी जानी है।</p> <p>बी. ए. एम. एस. तृतीय वर्ष - पृष्ठ संख्या 230 प्रत्येक Booklet की लागत रुपये 200/- कुल 1000 Booklet प्रकाशित करवायी जानी है।</p> <p>बी. ए. एम. एस. चतुर्थ वर्ष - पृष्ठ संख्या 200 प्रत्येक Booklet की लागत रुपये 170/- कुल 1000 Booklet प्रकाशित करवायी जानी है।</p> <p>वित्त विभाग के परिपत्र 30.04.2018 के क्रम में विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर मानव संसाधन हेतु अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के संबंध में।</p> <p>आर. टी. अधिवक्ता को देय राशि में अभिवृद्धि।</p> <p>नये पद सृजन करने के क्रम में।</p> <p>एकीकृत केन्टीन की स्थापना के क्रम में।</p>	<p>प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को शुल्क निर्धारित कर उपलब्ध करवाई जा सकेगी। शुल्क निर्धारण हेतु समिति का गठन किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।</p> <p>विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर मानव संसाधन की दरों का तुलनात्मक अध्ययन, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के अनुसार किया जाकर प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>समिति की अनुशंसा अनुसार आर. टी. अधिवक्ता की निर्धारित राशि रुपये 1500/- से रुपये 2000/- प्रति अपील (50/- टाईपिंग, 2/- प्रति फोटो कॉपी, 200/- वकालतनामा स्टाम्प ड्यूटी, 300/- सर्टिफाईड कॉपी एवं अन्य चार्ज) सहित की स्वीकृति प्रदान की गई है।</p> <p>विधापरिषद् के निर्णय का अनुमोदन करते हुए पद स्वीकृति के औचित्य की टिप्पणी के साथ प्रबन्ध मण्डल को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>जोधपुर में स्थित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कि आई.आई.टी./एम्स/एनएलयू में संचालित केन्टीनों का अध्ययन कर भोजन सामग्री की गुणवत्ता के अनुसार दर निर्धारण कर निविदा के माध्यम से केन्टीन संचालित की जानी प्रस्तावित है। आई.आई.टी./एम्स/एनएलयू में संचालित केन्टीनों का</p>
--	---